कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पश्चिम निमाड़, मण्डलेश्वर

आ दे श

क्रमांक 269 /S.W./2026 मण्डलेश्वर, दिनांक 18/05/2026

रजिस्ट्री, माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा न्यायिक अधिकारीगण के स्थानांतरण आदेश के फलस्वरूप इस न्यायिक जिला स्थापना पर कार्यरत न्यायालयों में पीठासीन अधिकारी की पदरिक्तता होने एवं रिक्त न्यायालय में पीठासीन अधिकारी की पदस्थापना होने के कारण प्रशासकीय कर्त्तव्य के निर्वहन में मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट एक्ट, 1958 अध्याय 04 के नियम 15 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व में प्रसारित कार्य विभाजन आदेश क्रमांक 27/एक–11–1/93/सा.ले. दिनांक 16.01.2026 वर्ष 2026 के दीवानी एवं दांडिक कार्य विभाजन पत्रक में निम्नानुसार आंशिक संशोधन **(प्रथम संशोधन)** समाविष्ट करने का आदेश देता हूं, जो कि आदेश दिनांक से प्रभावशील रहेगा, अर्थात्

सारणी

क	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार		प्रकरणों का प्रकार जिनका निराकरण किया जाना है	
(1)	(2)	(3)		(4)	
13	तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश खरगोन	न्यायिक तहसील **खरगोन** के अंतर्गत राजस्व तहसीलें	(स)	2	**किशोर न्याय बोर्ड** से उद्भूत समस्त प्रकार की अपीलें । **टीप – "सारणी के सरल कमांक 13 के कॉलम नं. 4 के (स) 2 के समक्ष उपरोक्त लिखी गई इबारत को विलोपित किया जाता है"**
14	चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश खरगोन	न्यायिक तहसील **खरगोन** के अंतर्गत राजस्व तहसीलें	(स)	3	(1) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड सह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खरगोन (2) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड सह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खरगोन के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश *के न्यायालय से उद्भूत नियमित दीवानी अपील, विविध दीवानी अपील आपराधिक अपील, आपराधिक पुनरीक्षण, समस्त प्रकार के जमानत आवेदन पत्र एवं अन्य प्रकरण ।* **टीप – "सारणी के सरल कमांक 14 के कॉलम नं. 4 के (स) 1 व 2 के समक्ष उपरोक्त लिखी गई इबारत को जोड़ा जाता है, जो कि दिनांक 01.01.2026 से प्रभावशील मानी जावे।**
16	षष्ठम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश खरगोन	न्यायिक तहसील **खरगोन** के अंतर्गत राजस्व तहसीलें	(स)	2	(4) **किशोर न्याय बोर्ड** से उद्भूत समस्त प्रकार की अपीलें । **टीप – "सारणी के सरल कमांक 16 के कॉलम नं. 4 के (स) 4 के समक्ष उपरोक्त लिखी गई इबारत को जोड़ा जाता है"**

.....2

(1)	(2)	(3)	(4)		
30	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड सनावद	न्यायिक तहसील **सनावद**	(अ)	1	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित समस्त प्रकार के सिविल, आपराधिक एवं अन्य प्रकरण ।
				2	नियमित व्यवहार वाद रू. 1/– से रू. 5,00,000/– की सीमा तक के ।
				3	लघुवाद प्रकरण रू. 1/– से रू. 200/– की सीमा तक के ।
				4	धारा 22 हिंदू उत्तराधिकार विधान के अंतर्गत रू. 1/– से रू. 5,00,000/– की सीमा के प्रकरण ।
			टीप –		**'उपरोक्त कॉलम (अ) वाले समस्त प्रकरण दिनांक 01.07.2026 से दिनांक 31.12.2026 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत होंगे ।"**
31	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड सनावद	न्यायिक तहसील **सनावद**	(अ)	1	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित समस्त प्रकार के सिविल, आपराधिक एवं अन्य प्रकरण ।
				2	नियमित व्यवहार वाद रू. 1/– से रू. 5,00,000/– की सीमा तक के ।
				3	लघुवाद प्रकरण रू. 1/– से रू. 200/– की सीमा तक के ।
				4	धारा 22 हिंदू उत्तराधिकार विधान के अंतर्गत रू. 1/– से रू. 5,00,000/– की सीमा के प्रकरण ।
			टीप –		**'उपरोक्त कॉलम (अ) वाले समस्त प्रकरण दिनांक 01.01.2026 से दिनांक 30.06.2026 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत होंगे ।"**
36	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड खरगोन	न्यायिक तहसील **खरगोन** के अंतर्गत राजस्व तहसीलें	(अ)		रिक्त न्यायालय ।
37	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड खरगोन	न्यायिक तहसील **खरगोन** के अंतर्गत राजस्व तहसीलें	(अ)	1	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित समस्त प्रकार के सिविल, आपराधिक एवं अन्य प्रकरण ।
				2	नियमित व्यवहार वाद रू. 1/– से रू. 5,00,000/– की सीमा तक के ।
				3	लघुवाद प्रकरण रू. 1/– से रू. 200/– की सीमा तक के ।
				4	धारा 22 हिंदू उत्तराधिकार विधान के अंतर्गत रू. 1/– से रू. 5,00,000/– की सीमा तक के प्रकरण । **टीप – 'उपरोक्त कॉलम (अ) वाले समस्त प्रकरण दिनांक 01.07.2026 से दिनांक 31.12.2026 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत होंगे ।"**
38	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , कनिष्ठ खण्ड खरगोन	न्यायिक तहसील **खरगोन** के अंतर्गत राजस्व तहसीलें		1	रिक्त न्यायालय

.....3

(1)	(2)	(3)		(4)	
39	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश , कनिष्ठ खण्ड खरगोन	न्यायिक तहसील **खरगोन** के अंतर्गत राजस्व तहसीलें	(अ)	1	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित समस्त प्रकार के सिविल, आपराधिक एवं अन्य प्रकरण ।
				2	नियमित व्यवहार वाद रू. 1/– से रू. 5,00,000/– की सीमा तक के ।
				3	लघुवाद प्रकरण रू. 1/– से रू. 200/– की सीमा तक के ।
				4	धारा 22 हिंदू उत्तराधिकार विधान के अंतर्गत रू. 1/– से रू. 5,00,000/– की सीमा तक के प्रकरण । **टीप – 'उपरोक्त कॉलम (अ) वाले समस्त प्रकरण दिनांक 01.01.2026 से दिनांक 30.06.2026 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत होंगे ।"**

टीप – श्रीमती मीता पंवार जंदेल, व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, कसरावद के लंबे अवकाश (प्रसुति अवकाश) पर रहने के कारण उनके न्यायालय में प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकार के ऐसे सिविल प्रकरण जो कि व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड के श्रवण क्षेत्राधिकारिता वाले है, पीठासीन अधिकारी के कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक तक व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, मण्डलेश्वर के न्यायालय में प्रस्तुत होकर सुनवाई व निराकृत किए जावेंगे।

(अखिलेश जोशी)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
पश्चिम निमाड़, मण्डलेश्वर (म.प्र.)

.....